/.

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची
(खनन शाखा)

पत्रांक 645 /एम0,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता (नक्सल),
राँची।

सेवा में,

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
रांची।

रांची, दिनांक 14/05/2026

विषय :– विज्ञापन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार विज्ञापन सामग्री (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है जिसे स्थानीय चार मुख्य हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित कराते हुए विज्ञापित कराये गये समाचार पत्र की प्रति जिला खनन कार्यालय, रांची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/5/26

अपर समाहर्त्ता (नक्सल),
राँची।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची

(खनन शाखा)

निदेशानुसार एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रांची जिलान्तर्गत निम्नलिखित स्थलों पर अवैध रुप से भण्डारित बालू खनिज को जप्त करने के फलस्वरुप झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधन नियमवली, 2017 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 54A के तहत जो जहाँ है उसी स्थिति में आम निलामी दिनांक 25/05/2026 को समय 03:00 बजे ~~पूर्वाह्न~~/अपराहन में अपर समाहर्त्ता (नक्सल), राँची की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लौक 'ए', कमरा नं0 207 में सम्पन्न की जाएगी। आवेदन सहित अन्य वांछित कागजात दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 22/05/2026 के 05:00 बजे अपराहन् तक है। भण्डारण की विवरणी, लोक निलामी की प्रक्रिया की शर्त्तें website www.prdjharkhand.in एवं कार्यालय सूचना पट्ट से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0	भण्डारण स्थल	भण्डारित बालू खनिज की मात्रा
1	रांची जिला के पुन्दाग ओ0पी0 थानान्तर्गत मौजा–पुन्दाग के मौर्या एलाईट के पीछे	3000 घनफीट
2	रांची जिला के बेड़ो थानान्तर्गत घाघरा पंचायत के डुमरदोन बस्ती (Lat-23.257549N, 84.926269E)	15000 घनफीट
3	एच0ई0सी0 फर्टिलाइजर, सुनील कोचिंग सेन्टर, टोनका (i) Lat- 23.256953, Long- 85.327636 (ii) Lat- 23.257361, Long- 85.328859 (iii)Lat- 23.257402, Long- 85.327867	20000 घनफीट
4	रांची जिला के पुन्दाग ओ0पी0 थानान्तर्गत टेंगरु ढ़ीपा, गंवा देवी स्थल के समीप, आलम चौक के पास (i) Lat- 23.346534, Long- 85.264261 (ii) Lat- 23.346215, Long- 85.264082 (iii)Lat- 23.345859, Long- 85.26425 (iv)Lat- 23.346207, Long- 85.264099	45000 घनफीट
5	रांची जिला के एयरपोर्ट थानान्तर्गत टोनको स्थित एच0ई0सी0 के खाली जमीन	35000 घनफीट
6	रांची जिला के एयरपोर्ट थानान्तर्गत टोनको स्थित माडे उराँव के परती जमीन	10000 घनफीट
7	रांची जिला के बुण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा तुन्जू कंची नदी के आस पास (i) Lat- 23.118885N, Long- 85.611486E (ii) Lat- 23.126081N, Long- 85.613344E (iii)Lat- 23.126081N, Long- 85.611692E	35000 घनफीट
8	रांची जिला के रातु थाना अन्तर्गत चटकपुर में सिया केक बेकरी/एस0बी0एन0 पब्लिक स्कुल के समीप	90000 घनफीट

14/5/26

अपर समाहर्त्ता (नक्सल),
विधि व्यवस्था, राँची।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची

(खनन शाखा)

अवैध रुप से जप्त बालू खनिज का आम नीलामी हेतु सूचना :–

निदेशानुसार एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रांची जिलान्तर्गत निम्नलिखित स्थलों पर अवैध रुप से भण्डारित बालू खनिज को जप्त करने के फलस्वरुप झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधन नियमवली, 2017 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 54A के तहत जो जहाँ है उसी स्थिति में आम निलामी दिनांक 25/05/2026 को समय 03:00 बजे ~~पूर्वाहन~~/अपराहन में अपर समाहर्त्ता (नक्सल), राँची की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लौक 'ए', कमरा नं0 207 में सम्पन्न की जाएगी। भण्डारण की विवरणी, लोक निलामी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें निम्नवत् है :–

क्र0	भण्डारण स्थल	भण्डारित बालू खनिज की मात्रा	सुरक्षित जमा राशि (रुपया में)	सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिभूति राशि (रुपया में)
1	रांची जिला के पुन्दाग ओ0पी0 थानान्तर्गत मौजा–पुन्दाग के मौर्या एलाईट के पीछे	3000 घनफीट	38400.00	3840.00
2	रांची जिला के बेड़ो थानान्तर्गत घाघरा पंचायत के डुमरदोन बस्ती (Lat- 23.257549N, 84.926269E)	15000 घनफीट	192000.00	19200.00
3	एच0ई0सी0 फर्टिलाइजर, सुनील कोचिंग सेन्टर, टोनका (i) Lat- 23.256953, Long- 85.327636 (ii) Lat- 23.257361, Long- 85.328859 (iii)Lat- 23.257402, Long- 85.327867	20000 घनफीट	256000.00	25600.00
4	रांची जिला के पुन्दाग ओ0पी0 थानान्तर्गत टेंगरु ढ़ीपा, गंवा देवी स्थल के समीप, आलम चौक के पास (i) Lat- 23.346534, Long- 85.264261 (ii) Lat- 23.346215, Long- 85.264082 (iii)Lat- 23.345859, Long- 85.26425 (iv)Lat- 23.346207, Long- 85.264099	45000 घनफीट	576000.00	57600.00
5	रांची जिला के एयरपोर्ट थानान्तर्गत टोनको स्थित एच0ई0सी0 के खाली जमीन	35000 घनफीट	448000.00	44800.00
6	रांची जिला के एयरपोर्ट थानान्तर्गत टोनको स्थित माडे उराँव के परती जमीन	10000 घनफीट	128000.00	12800.00
7	रांची जिला के बुण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा तुन्जू कंची नदी के आस पास (i) Lat- 23.118885N, Long- 85.611486E (ii) Lat- 23.126081N, Long- 85.613344E (iii)Lat- 23.126081N, Long- 85.611692E	35000 घनफीट	448000.00	44800.00

क्र0	भण्डारण स्थल	भण्डारित बालू खनिज की मात्रा	सुरक्षित जमा राशि (रुपया में)	सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिभूति राशि (रुपया में)
8	रांची जिला के रातु थाना अन्तर्गत चटकपुर में सिया केक बेकरी/एस0बी0एन0 पब्लिक स्कुल के समीप	90000 घनफीट	1152000.00	115200.00

(2) निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/संस्था को निर्धारित सुरक्षित जमा का दस प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रुप में निलामी की तिथि से दो दिन पूर्व कार्यालय अवधि में जिला खनन पदाधिकारी, राँची के पदनाम से रेखांकित बैंक ड्राफट अन्य आवश्यक कागजात के साथ जमा करना होगा, अन्यथा व्यक्ति/संस्था डाक में भाग लेने से वंचित कर दिये जायेंगे। सफल डाकवक्ता (अधिकतम राशि) की प्रतिभूति रकम को छोड़कर अन्य डाकवक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफट नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।

(3) निलामी में बोली गयी उच्चतम डाक की राशि का 10% (दस प्रतिशत) में से पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि को छोड़कर शेष प्रतिभूति राशि, डाक की समाप्ति या उपायुक्त/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निदेश दिये जाने पर निलामी वाले तिथि को ही ऑन–लाईन के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता द्वारा जमा करना होगा, अन्यथा उच्चतम डाकवक्ता को भविष्य में निलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

(4) उच्चतम डाक की पूर्ण राशि निलामी की तिथि से सात दिनों के अंदर कार्यालय अवधि में ही भुगताना करना होगा। पूर्ण राशि के भुगतान में असफल रहने की स्थिति में दूसरे नंबर के डाकवक्ता को उनके द्वारा बोली गई उच्चतम डाक की राशि पर सहमति हेतु प्रस्ताव दिया जायेगा एवं उनके समर्थन या स्वीकार होने की स्थिति में यह निलामी उनके पक्ष में घोषित किया जायेगा।

(5) निलामी के उपरांत उच्चतम डाक की राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही सफल डाकवक्ता के पक्ष में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(6) उक्त आदेश निर्गत होने के उपरांत बालू खनिज के उठाव/प्रेषण हेतु JIMMS द्वारा अस्थाई आई0डी0 सृजित किया जायेगा।

(7) उक्त खनिज का उठाव/प्रेषण JIMMS Portal से निर्गत परिवहन चालान के माध्यम से आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अनिवार्य रुप से कर लेना होगा। विशेष परिस्थिति में कारणों सहित लिखित आवेदन पर समीक्षोपरान्त अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) उच्चतम डाकवक्ता द्वारा यथासंभव रांची जिलान्तर्गत ही उक्त खनिज का बिक्री करना होगा।

(9) बन्दोबस्ती के पश्चात् बालू का प्रेषण करने में किसी प्रकार का अड़चन यथा पहुँच पथ वगैरह के कारण या किसी अन्य कारणवश, उच्चतम डाकवक्ता निलामी किये गये बालू का प्रेषण नहीं कर पाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी उच्चतम डाकवक्ता की होगी तथा भुगतान की गयी राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा/कटौती मान्य नहीं होगा।

(10) बालू निष्कासन के क्रम में यदि रैयती भूमि का उपयोग किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान उच्चतम डाकवक्ता द्वारा ही किया जायेगा।

(11) आम निलामी में उच्चतम डाकवक्ताओं में अगर Tie (गुलोबन्द) होता है तो End user को प्राथमिकता मिलेंगी।

(12) अन्य शर्त्त एवं बंधेज झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 (सभी संशोधनों सहित) एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(13) निलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था जो खनन संबंधी व्यवसाय हेतु निबंधित है। दिनांक 22/05/2026 के 05:00 बजे अपराहन् तक जिला खनन कार्यालय, रांची में आवेदन दाखिल कर सकते है। आवेदन के साथ निम्नलिखित वांछित कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(क) सुरक्षित जमा का दस प्रतिशत राशि निर्धारित प्रतिभूति रकम के रुप में बैंक ड्राफ्ट।

(ख) पैन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिर्टन की छाया प्रति।

(ग) आधार कार्ड की छाया प्रति।

(घ) झारखण्ड राज्य अन्तर्गत आवासीय संबंधी दस्तावेज की छाया प्रति।

(च) पासपोर्ट साईज फोटो।

(छ) आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि पूर्व से खनन पट्टाधारक है अथवा नहीं, यदि है तो खनन बकाया से संबंधित स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र भी जमा करेंगे।

(ज) पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

नोट :– विशेष जानकारी के लिए जिला खनन कार्यालय, रांची में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

14/05/26

अपर समाहर्त्ता (नक्सल),
राँची।